कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांकः 11 /FP/UK/ROAD/38601/2019 दिनॉकःदेहरादूनः 01 ~~जून,~~ जुलाई 2021

सेवा में,

निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर, चमोली।

विषयः– जनपद चमोली में राज्य योजना विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धनई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार का ई0डी0एस0 दिनांक 22–04–2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 22–04–2021 (संलग्नक–1) एवं इस इस कार्यालय के ई0डी0एस0 (संलग्नक–2) के द्वारा प्रस्तांवक विभाग से सूचना चाही गई थी, जिसे प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 5391/12–1 दिनांक 25–06–2021 तथा आपके पत्रांक 2718 दिनांक 26–06–2021 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई थी। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में **भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रस्तावित ग्राम पूर्व से ही मोटर मार्ग से जुडा हुआ है तथा इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रर्याप्त मात्रा में वृक्ष–विहीन क्षेत्र उपलब्ध है। अतः आरक्षित वन भूमि से 217 वृक्षों के पातन सहित एक अन्य मार्ग का निर्माण का औचित्य नहीं बनता है,** किन्तु आपके द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ द्वारा दी गई आख्या सहमति के बिना इस कार्यालय को प्रेषित की गई।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विषयांकित प्रकरण पर यदि मार्ग निर्माण की आवश्यकता हो तो इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र **प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर से प्रस्तावित मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण करवाकर सुस्पष्ट आख्या/सूचना अपनी संस्तुति के साथ मूल प्रति सहित तीन प्रतियों** में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण को स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या /FP/UK/ROAD/38601/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर, चमोली।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/58/2021/एफ0 सी0/97- दिनांक: 12/04/2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में राज्य योजना विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे देवल से धनई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/38601/2019)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2393/FP/UK/ ROAD/38601/2019 दिनांक 18-03-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के आवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पूर्व से ही मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष–विहीन क्षेत्र उपलब्ध है। अतः Reserved Forest क्षेत्र से 217 वृक्षों के पातन सहित एक अन्य मार्ग का निर्माण का कोई औचित्य नहीं है।

भवदीय,

12-04-21

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

FP/UK/Road/38601/2019

Date-05-06-2021

With reference to the RO,MOEFCC,GoI letter- dated-22/04/2021

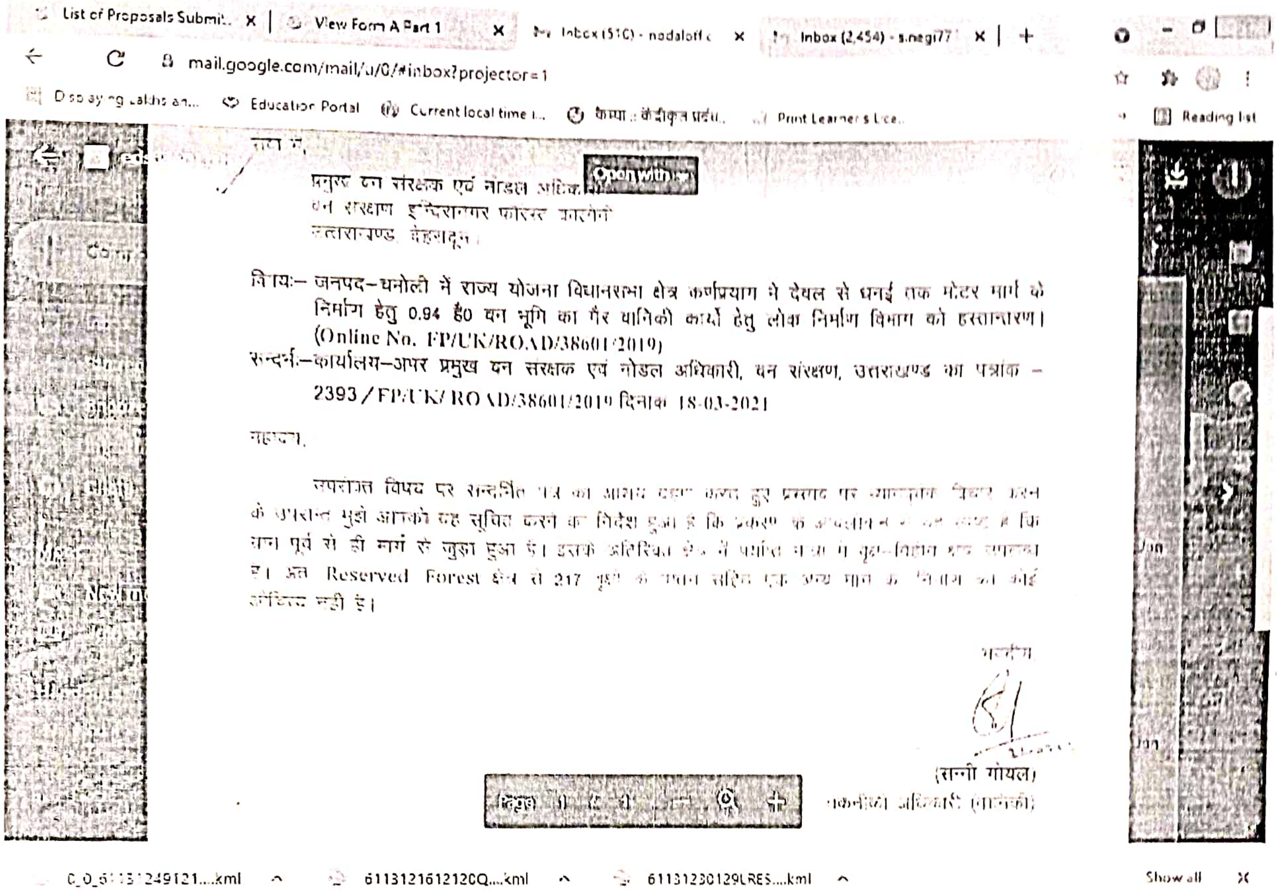

सेवा में,

[illegible] वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में राज्य योजना विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे देवल से धनई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/38601/2019)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2393 / FP/UK/ ROAD/38601/2019 दिनांक 18-03-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का [illegible] प्रस्ताव पर [illegible] के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि [illegible] पूर्व से ही मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त [illegible] है। अतः Reserved Forest क्षेत्र से 217 वृक्षों के [illegible] सहित एक अन्य मार्ग के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है।

भवदीय

(सन्नी गोयल)
[illegible] अधिकारी [illegible]

, reply for the justification is received via letter 5073/12-1 dated 02/06/2021 but the justification given is not satisfactory

List of Proposals Submi... × | View Form A Part 1 × (no subject) - nodal offi... × Inbox (2,454) - s.negi77 × | +
mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHrtsvdxGNwwTokcMWjRqFcSFcwvdV?projector=1&messagePartId=0.2
Displaying Lakhs an... Education Portal Current local time i... कैम्पा : केन्द्रीकृत प्रबंध... Print Learner's Lice... » Reading list

विषय:– मा0मु0मं0 सं0 1471/2016 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 03/05/2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्र द्वारा कि0मी0 27 में दृष्टिगोचर है। उक्त मोटर मार्ग ग्राम धानई के लिये प्रस्तावित है जिसकी अधिकतर जनसंख्या/ आबादी मोटर मार्ग से काफी ऊंचाई पर आच्छादित है, इसके अतिरिक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित अन्य तथ्य निम्नवत् है –

1– यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी (राज्य मार्ग) से 2.00 कि0मी0 एवं वर्तमान में निर्मित नौटी–छातौली–कल्याणी–चौरासैण (PMGSY के अन्तर्गत) से लगभग 2.25 कि0मी0 दूरी पर स्थित है।

2- इस ग्राम को मोटर मार्ग का लाभ पहुंचाने हेतु चयनित संरेखण उपयुक्त है, जो कि सीधे कर्णप्रयाग–नौटी– पैठाणी (राज्य मार्ग) मोटर मार्ग से जुड़ा है। तथा आर्थिक दृष्टि से भी ग्रामीणों हेतु लाभप्रद है।

3– वर्षा के समय में गर्भवती महिला / बीमार व्यक्तियों को मोटर मार्ग तक पहुंचाने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। जबकि मोटर मार्ग बनने के बाद यह समय मात्र 10 से 15 मिनट का होगा, जिससे ग्रामीणों को जीवन बचाने में अत्यन्त सहायता मिलेगी।

4– यह मोटर मार्ग ग्रामीणों की सहमति एवं वन सरपंच की अनुमति के बाद न्यूनतम वृक्षों के पातन को ध्यान में रख कर ही चयनित किया गया है। अन्यत्र स्थल उपयुक्त न होने एवं अन्य ग्राम सभा द्वारा सहमति न मिलने के कारण उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए पहाड़ की विषम परिस्थितियों एवं जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु विचार करने की कृपा करें। सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 817/1सी0(वन) दिनांक 28/05/2021 की छायाप्रति संलग्न।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)

Show all ×
0_0_61131249121....xml ^ 61131216121200....xml ^ 61131230129tRES....kml ^

Action to be taken- Joint inspection report to validate the justification.

............NODAL OFFICE...............